Central Tax, dated the 7th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 204 (E), dated the 7th March, 2018, shall come into force.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सं. 16/2018- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 268(ब).—आयुक्त केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप जीएसटीबार-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय: प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

No. 16/2018 - Central Tax

G.S.R. 268(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	April, 2018	20 th May, 2018
2.	May, 2018	20 th June, 2018
3.	June, 2018	20 th July, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सं. 10/2018- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 269(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्तूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "31 मार्च 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)] रुची बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) और सा.का.िन.1262(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्तूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

No. 10/2018 - Central Tax (Rate)

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue),No.8/2017 – Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017, and amended vide notification No.38/2017- Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1262 (E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words " 31^{st} day of March, 2018", the figures, letters and words " 30^{th} day of June, 2018" shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No.8/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017 and amended vide notification No.38/2017- Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1262 (E), dated the 13th October, 2017.